<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103003052016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—328 / 2016</u> संस्थापित दिनांक—07.09.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—शिशुपाल पुत्र रब्बू लोधी आयु 26 वर्ष
02—जगतसिह पुत्र रब्बू लोधी आयु 23 वर्ष निवासीगण
ग्राम हंसारी, चंदेरी
आरोपीगण
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :— श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u>ः— (आज दिनांक 08.09.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456,323,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 456 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी ने दिनांक 30.12.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 29.12.15 को 20:00 बजे फरियादी के मकान हंसारी चंदेरी में आरोपीगण रात्रि में उसके घर के अंदर घुस आया और जब बह चिल्लाई तो आरोपी ने उसका दाहिना हाथ पकड कर खचोड दिया जिससे कलाई में चोट लग गई और धक्का देकर भाग गये। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 507/15 के अंतर्गत भादिव की धारा 323,456 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 456,323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 29.12.15 को 20:00 बजे फरियादिया पार्वतीबाई के मकान हंसारी चंदेरी में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन गृहअतिचार कारित किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 पार्वतीवाई एवं अ0सा02 बुद्धा की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

- 08— अभियोजन साक्षी 01 पार्वतीवाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को आरोपीगण से उनका वाद विवाद हो गया था तथा आरोपीगण ने धक्का मुक्की कर दी थी जिससे उसे चोट लग गई थी और उसने घटना की रिपोर्ट प्रण्री01 लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण रात्रि में उसके घर मे घुस गये थे। इसी प्रकार अ0सा02 ने अपने कथन मे बताया है कि घटना दिनाक को वह बाहर काम करने गया था तो आरोपीगण का उसके लड़के से वाद विवाद हो गया था, जिसके बारे मे उसकी पत्नी ने उसे बताया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसकी पत्नी ने यह बताया था कि आरोपीगण रात्रि में उसके घर मे घुस गये थें। दोनो साक्षीगण ने पुलिस कथन प्रण्पी03 एवं पी04 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है मामले के फरियादी ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण रात्रि में उसके घर मे घुस गये थे।
- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादिव की धारा 456 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)